पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
जनसम्पर्क विभाग
जबलपुर

टिकट दलालों पर रेलवे सुरक्षा बल ने की कार्रवाई

जबलपुर 05 अगस्त। रेलवे में अवैध टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु पश्चिम मध्य रेल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि "ऑपरेशन उपलब्ध" के तहत माह 01 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2025 के दौरान अवैध टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत 50 टिकट दलालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान आरपीएफ द्वारा 49 लाख 95 हज़ार 184 रूपये कीमत की 3477 रेल टिकटों को जब्त किया गया।

रेलवे एक्ट 143 के तहत, किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा रेलवे टिकटों का अवैध तरीके से व्यापार करना, अधिक दाम पर बेचना या अन्य किसी तरीके से टिकटों की कालाबाजारी करना कानूनी अपराध है। इस एक्ट के तहत जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

मुख्य बिंदु:-

1) **कानूनी कार्रवाई:** दोषियों के खिलाफ जुर्माना और दण्ड का प्रावधान।
2) **अवैध गतिविधियों पर रोक:** टिकटों की कालाबाजारी और अवैध बुकिंग पर नियंत्रण।
3) **रेलवे प्रशासन की पहल:** यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है टिकट केवल आधिकारिक रेलवे काउंटरों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों से ही बुक करें। अवैध बुकिंग से बचने के लिए कृपया हमेशा अधिकृत स्रोतों से ही टिकट प्राप्त करें।

संख्या : पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/275/2025 दिनांक 05.08.2025

सम्माननीय संपादक, कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग प्रदान करें।

मुख्य जनसंपर्क अधिकार
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर